10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

20-5-17
14-8-14

समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. पी.बी.आर. /निगरानी/14

R 2741- PBR/14

1. आलिया बानो पत्नी सलीम मोहम्मद खान
2. सलीम मोहम्मद आ0 मुईस मोहम्मद खान
   निवासीगण डी–11ए बी0डी0ए0 कालोनी कोहेफिजा
   भोपाल म0प्र0

....आवेदकगण

क्रमांक 2654
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा
दिनांक 14-8-14 को प्रेषित

विरूद्ध

1. शाईस्ता फहीम पत्नी मरहूम फहीम मोहम्मद खान
2. निमरा पुत्री मरहूम फहीम मोहम्मद खान अवयस्क
   द्वारा मो एवं सरक्षिका शाईस्ता फहीम पत्नी मरहूम
   फहीम मोहम्मद खान निवासीगण जेड काम्पलेक्स
   द्वितीय तल नक्कार खान भोपाल म0प्र0
3. सलमान मोहम्मद आ0 सलीम मोहम्मद खान
   निवासी म0न0 43 बडवाली मस्जिद के पास
   जहांगीराबाद भोपाल म0प्र0

.......अनावेदकगण

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान अनुविभागीय अधिकारी गोविन्दपुरा वृत भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 09/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 28/02/14 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

13.1.2015

आवेदकगण की ओर से श्री प्रेमसिंह अभिभावक उपस्थित। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, इसलिये यह निगरानी निरर्थक होने से चलाना नहीं चाहते हैं। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने से समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष

13/1